प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, एस.बी.एस.मार्ग, मुंबई-400001
Department of Communication, Central Office, S.B.S.Marg, Mumbai-400001
फोन/Phone: 022- 22660502

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email: helpdoc@rbi.org.in

24 दिसंबर 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र के लाइसेंस को रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 (4) के तहत 24 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, कोल्हापुर, महाराष्ट्र को 24 दिसंबर 2020 को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित करने के लाइसेंस को रद्द कर दिया है।

रिज़र्व बैंक ने सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है क्योंकि :

i) सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के कार्यों को इस तरीके से संचालित किया गया था जो उसके वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक था ।

ii) यदि बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो जिस तरह यह कार्य कर रहा है इससे सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

iii) वर्तमान और भविष्य के जमाकर्ताओं के हित के लिए प्रबंधन के सामान्य प्रकृति को प्रतिकूल माना जाता है।

बैंक ने वित्त वर्ष 2019-20 में दो तिमाहियों के लिए न्यूनतम निवल मूल्य अपेक्षा का उल्लंघन किया था।

लाइसेंस रद्द करने के परिणामस्वरूप, सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (बी) में परिभाषित “बैंकिंग” कारोबार करने या धारा 6 के तहत परिकल्पित किसी अतिरिक्त कारोबार करने के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक उच्च न्यायालय के समक्ष इसके समापन के लिए एक आवेदन करेगा।

सुभद्रा लोकल एरिया बैंक लिमिटेड के पास अपने सभी जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध है।

(योगेश दयाल)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/828